# विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(प्रश्न अनुभाग)

संख्या : 201/वि0स0/15/प्र0/2017

लखनऊ, दिनांक 11 अगस्त, 2017

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

1-मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

2-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय के समस्त विभाग।

विषय : उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत प्रश्न तथा सूचनाएं।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2017 से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2017 के प्रथम सत्र का सत्रावसान कर दिये जाने के फलस्वरूप लम्बित सभी प्रश्न तथा सूचनाएं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-18 के अन्तर्गत व्यपगत हो गयी हैं परन्तु जो प्रश्न कार्य-सूची में प्रविष्ट हो चुके हैं और विगत सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गये थे तथा उत्तर के लिए लम्बित थे, वे व्यपगत नहीं होंगे।

2-सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-28 (प्रति संलग्न) के अनुसार मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि सत्रावसान की तिथि तक जितने भी प्रश्न स्वीकृत किये जा चुके हैं उन सबके लिखित उत्तर यदि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास प्रेषित कर दिये जाते हैं और उनके लिखित उत्तर प्रेषित किये जाने की सूचना उत्तर की एक प्रति सहित उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाती है, तो उन्हें उत्तरित मान लिया जायेगा।

3-मुझे आपको यह भी सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-2 में उल्लिखित अवधि के पश्चात् पुनः आगामी सत्र हेतु निर्धारित प्रश्नों पर ऑनलाइन कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ विभाग/प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारियों अथवा उनके समकक्ष स्तर के अधिकारियों को जिन्होंने OTP (One Time Password) व्यवस्था के अन्तर्गत अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है विधान सभा की वेबसाइट http://uplaquest.uplegisassembly.gov.in पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन

पंजीकरण कराकर निर्धारित पंजीकरण प्रपत्र डाउनलोड कर प्रश्न अनुभाग/साइबर सेल, विधान सभा सचिवालय में जमा कराने एवं आपके अधीनस्थ जिन विभाग/प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारियों का स्थानान्तरण नये विभाग/प्रकोष्ठ में हो गया हो उन्हें उक्त वेबसाइट पर अपने अकाउण्ट से लॉग-इन कर डी-रजिस्ट्रेशन कर नयी तैनाती के विभाग/प्रकोष्ठ में रजिस्ट्रेशन करने हेतु निर्देशित करने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्रवाई करने का कष्ट करें।

4-मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रश्नों की प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से आगामी सत्र के निर्धारित प्रश्नों की लिखित प्रतियां (हार्ड कॉपी) अब शासन के अनुभागों को नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आगामी सत्र हेतु निर्धारित प्रश्नों की प्रतियां उ0प्र0 शासन के अनुभाग अधिकारी उन्हें आवंटित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग कर विधान सभा की वेबसाइट http://uplaquest.uplegisassembly.gov.in पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कर प्राप्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

**प्रदीप कुमार दुबे,**
प्रमुख सचिव।

संख्या : 201(1-4)/वि0स0/15/प्र0/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :--

1-मा0 मुख्य मंत्री, मंत्री परिषद् के अन्य समस्त सदस्यों के निजी सचिवों को मा0 मंत्रियों की सूचनार्थ,

2-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,

3-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,

4-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग।

**मयंक कुमार कन्नौजिया,**
विशेष सचिव।

## उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-28 का सन्दर्भित उद्धरण

"28-(1) सत्रावसान की तिथि तक जितने भी तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न उत्तर हेतु स्वीकार किये जा चुके हों और जो सत्र के दौरान सदन में अनुत्तरित रह गये हों तथा सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत हो गये हों उन सबके लिखित उत्तर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास सीधे प्रेषित किये जा सकते हैं और ऐसी दशा में उनकी एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी। इस प्रकार जिन प्रश्नों के लिखित उत्तर भेजे जाने की सूचना उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाय उन्हें आगामी सत्र की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यदि ऐसे किसी लिखित उत्तर से सम्बन्धित सदस्य सन्तुष्ट न हों तो वह उस उत्तर के संदर्भ में उसी विषय पर प्रश्न की सूचना पुनः दे सकेंगे और ऐसी सूचना नियमानुसार ग्राह्य किये जाने की दशा में वह प्रश्न आगामी सत्र की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) यदि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सत्रावसान की तिथि के एक महीने के भीतर प्रश्नकर्ता को न मिले और वे उन प्रश्नों को पुनः पूछना आवश्यक समझें तो नये सिरे से उन प्रश्नों को पुनः लिखकर उनकी सूचना विधान सभा सचिवालय को भेज सकेंगे।"

## उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-33(1) का सन्दर्भित उद्धरण

"33-प्रश्नों की संख्या की परिसीमा-(1) एक सदस्य एक दिन में केवल पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा, जिसमें अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सम्मिलित हैं। यदि कोई सदस्य पांच प्रश्नों से अधिक सूचना किसी दिन देता है तो उसकी प्रथम पांच सूचनायें ली जा सकेंगी और शेष सूचना अस्वीकृत समझी जायेंगी।"

---------------

पी0एस0यू0पी0-एल0 144 विधान सभा (273)-14-8-2017-600 प्रतियां (कम्प्यूटर)।